in regard to routes that are running at a loss?

Shri Mohiuddin: The difficulty arises that when a service is discontinued, there is demand for it. Of course, Government also keep in view the fact that important points which have been connected for long should continue to be so and the service should not be discontinued, as far as possible. As far as reducing the loss is concerned, I have already stated what we are trying to do.

Shri Hem Barua: The Minister has made a reference to increase in traffic Since there has been an increase in passengr traffic of 20 per cent annually, may I know why the IAC has failed to make any profit? Do Government propose to hold a thorough probe into the working of IAC?

Mr. Speaker: The hon. Minister has given the reasons why losses are there.

Shri Mohiuddin I will just clarify the point which has been misunderstood by the hon. Member. The loss incurred by IAC in 1957-58 was Rs. 103 lakhs and in 1958-59, Rs. 91 lakhs. The profit earned in 1959-60 was Rs. 7,81,000, in 1960-61 Rs. 4,69,000 and in 1961-62 it is expected that there will be a similar small profit.

फसल का बीमा

३ = ३. श्री विभूति मिश्रः क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फसलों का बीमा कराने के लिये जो प्रबन्ध किया जाने वाला था उस योजना पर कहां तक काम हन्न्रा है ;

(ख) यह योजना कव से चालू हो जायेगी ; ग्रौर

(ग) योजनाकी पूरी रूप रेखाक्या होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) से (ग): पंजाब सरकार का राज्य मे फसल बीमे के लिए एक पाइलट योजना चालू करने का विचार है। वह इस योजना का ब्यौरा तैयार कर रही है ग्रौर अन्तिम योजना भारत सरकार के पास ग्रभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस ग्रवस्था में यह कहना सम्भव नहीं है कि वह योजना कब से लागू होगी।

I shall read it in English also.

(a) to (c). The Punjab Government intend to introduce a pilot scheme for crop insurance in that State. Details of the scheme are being worked out by them and the final scheme has not so far been received by the Govrnment of India. It is not possible to say at this stage when the scheme would be introduced.

श्री विभूति सिश्र मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न सूबों में काप इन्क्योरेन्स के लिए खुद कोई कार्रवाई कर रही है या विभिन्न सूवों को कोई मदद दे रही है ताकि वहां काप इन्क्योरेन्स हो ?

श्री स० का० पाटिल : हां, जरूर थोड़ी बहुत मदद दे रही है । मन् १६४७ में उस ने एक स्पेशल आफिसर नियुक्त किया इस की जांच करने के लिय, ग्रौर ग्रभी सरकार ने एफ० ए० ग्रो० से भी उस की मर्विसेज मांगी हैं ग्रौर उस का उपयोग किया जाता है । लेकिन ग्रसल में यह काम राज्य सरकार का है कि वह तय करे कि इस को लागू करना है या नहीं । गर्वा में द ग्राफ इंडिया इस में इतनी मदद दे रही है कि एडमिनिस्ट्रे-टिव एक्स्पेन्स वगैरह जो ग्रायेगा वह उस का ग्राधा हिस्सा देगी ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने पहले गल्ले के सामान का इन्स्योरेन्स करने की हिंदायत दी है या कैश काप का इन्स्योरेन्स करने की हिंदायत दी है।

श्री स० का० पाटिल ः पहले तो काप इन्द्योरेन्स की योजना है । गत्ले की चीज तो दूसरी है । पंजाव में दो ग्रेन हैं, इफ माई मिस्टेक नाट, गेंहं ग्रीर उस के साथ चना मौंद टू कैश काप्स हैं, शुगर केन ग्रौर काटन यानी कपास ।

डा० गोकिन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि सन् १६४७ में ही सरकार ने इस सम्बन्ध में एक अफसर की नियुक्ति की थी। इस को इतने वर्ष हो गये। तो क्या पंजाब के सिवा ग्रौर किसी राज्य मे इस के सम्बन्ध में कुछ हो रहा है ? ग्रौर प्रगर हो रहा है तो कहां कहां हो रहा है ? साथ ही इस फसल के बीमे के साथ बैलों के बीमे का भी कोई विचार किया जा रहा है, जिन का फमलों से बहन सम्बन्ध है ?

श्रीस० का० पाटिल : ये दंग्रिवाल श्रलग-ग्रलग हैं।

ग्रध्यक्ष महोदयः वैलों को तो रहने दीजिए ।

श्री स० का० पाटिल : वैलों का तो विचार इस में नहीं है । यह तो काप इय्योरेंस का सवाल है। इस में बैल नहीं झाते है। उन का तो इन्दयोरेन्स हो सकता है, लेकिन वह ग्रलग चीज है। काप इंश्योरेंस के लिए स्टैटस इसलिये तैयार नहीं हैं क्योंकि उन को यह मालूम नहीं है कि इस में कितना खर्चा ग्रायेगा । उस में जो एक्चुएरियल स्टटिस्टिक्स वगैरह चाहियें वह हमारे पास नहीं हैं और जब तक नहीं हैं तो इस प्रकार की चीज में यकायक पड़ना स्टेट के लिए तो कठिन है । इसलिए उस का एक्सपेरीमेंट वगैरह करना चाहिये । मैं मानता हं कि सब से पहले पंजाब गवर्नमेंट इस काम के लिए सामने ग्राई है । वह एक्सपेरीमेंट करे ग्रौर सफल हो तो न केवल पंजाव में बल्कि ग्रौर प्रान्तों में भी वह शुरू किया जायेगा ।

श्री ज॰ ब॰ सिंहः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कोई इस तरह की स्कीम बनाई है कि काप इंक्योरेंस किया जाये? श्री स० का० पाटिल : उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसी स्कीम ग्रभी तक तो हमारे पास नहीं भेजी है ।

प्राध्यक्ष महोबय : एक बात मुझे कहनी है । जब मिनिस्टर यह जवाब देकि मेरे पास सिर्फ पंजाब से ही यह स्कीम ग्रायी है तो इस से जाहिर है कि ग्रौर किसी स्टेट से नहीं ग्राई है । ऐसी हालत में किसी मेम्बर का यह सवाल करना कि क्या राजस्थान से भी ग्राई है या उत्तर प्रदेश से भी ग्राई है, इस से कोई फायदा नहीं होता । ग्रौर न इस से कोई खास इनफारमेशन मिलेगी ।

श्री स॰ मो॰ बनर्जी : यह तो पूछ सकते हैं कि दूसरे राज्यों से क्यों नहीं श्राई ।

श्रध्यक्ष महोदयः ग्रगर ग्राप उस दूसरी स्टेट से ही पूछे तो ज्यादा श्रच्छा हो कि ग्राप ने क्यों नहीं भेजी, बनिस्बत सेंटर से पूछने के कि क्यों नहीं प्राईं।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या मंत्री महोदय कृपा कर के बतायेंगे कि पंजाब से जो स्कीम श्राई है उस में क्या लिखा है ?

• **मध्यक्ष महोवय**ः जितनालिखा**हुम्रा** हैवह तो उन्होंने बताया।

Shrimati Yasoda Reddy: Apart from the scheme submitted by the Punjab Government, I would like to know from the hon. Minister of Food and Agriculture whether the Government of India, as a matter of policy is thinking of introducing a general scheme of crop insurance in States where famine has become a regular feature. I just would like to know whether they intend to have any such policy because in some States there are districts having famine almost every vear.

Mr. Speaker: Besides being long, the question is too wide.

Shri S. K. Patil rose-

Shrimati Yasoda Reddy: The hon. Minister is prepared to answer.

Mr. Speaker: Order, order. Shri Yadav.

श्री रामसेवक यादव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो पंजाब से स्कोम ग्राई है उस के बारे में दूसरे राज्यों को भी लिखा गया है या नहीं और यदि लिखा गया है तो उन का क्या जवाब ग्राया है ?

श्री स॰ का॰ पाटिल : वह तो सब को मालूम है, उस की ग्रखवारों में चर्चा हुई है । हमारो एग्रीकल्चुरल कानफरेंसों में उस की चर्चा होती है ग्रौर वह सब को मालूम है । मैं समझता हूं कि यह काम ग्राहिस्ता-ग्राहिस्ता होगा । पंजाब में यह काम सफल हो गया तो दूसरे प्रान्तों में वह शुरू होगा ।

श्री झिव नारायण : क्या सरकार मेहरवानी कर के बतायेगी कि क्या इस स्कीम को भारत के ग्रन्य प्रान्तों में भी लांच किया जायेगा ?

<mark>श्रध्यक्ष महो</mark>दय : यह सवाल बार-बार किया जाता है । मगर वह इस में नहीं श्राता ।

Iduky Hydro-Electric Project + Shri Vasudevan Nair: *384. { Shri Warlor: { Shri Kappen:

Will the Minister of Irrigation and power be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 256 on the 28th March, 1962 and be pleased to state:

(a) whether any agreement has been reached between Madras and Kerala Governments as to the utilization of the Iduky waters;

(b) if so, whether the work of the Iduky project will be started forthwith; and (c) whether the necessary foreign exchange has been provided for the scheme?

The Minister of Irrigation and Power (Hafiz Mohammad Ibrahim): (a) and (b). No; Sir.

(c) It is too early to consider the question of providing foreign exchange for the Scheme.

Shri Vasudevan Nair: The Chief Minister of the Kerala Government stated in the State Assembly recently that there was no outstanding dispute as far as the Iduky waters were concerned between the Kerala Government and the Madras Government. May I know whether the Government of India has taken note of this statement of the Chief Minister of the Kerala Government, and if so, what is the reaction of the Government of India to it?

Hafiz Mohammad Ibrahim: The statement to which the hon. Members is referring has not come to my notice personally, but as far as the dispute is concerned, that is there. The differences are there between the two States in regard to the utilisation of the waters of the Iduky river. Some of it is wanted by Madras, to which the other State is not agreeing.

Shri Vasudevan Nair: What are the steps being taken by the Central Government to see that this dispute is settled at an early date and that the work on this project is taken up?

Hafiz Mohammad Ibrahim: If you permit me Sir this is half a page and I might read it out here. That will disclose the whole thing to the hon. Member and probably further questions also may not arise.

Mr. Speaker: It may be too long. I am afraid of so many pages. I cannot allow that but if he can give a summary of it just in a few words I can allow it. The hon. Member wants to know whether the Central Government is doing anything to get that dispute resolved between the two States.